न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 24/2010

1. श्री चिरंजीलाल जैन पुत्र श्री श्रीचन्द जैन निवासी केसरगंज, अजमेर।
2. श्री सुभाष जैन पुत्र जयनोदेवी निवासी केसरगंज, अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार जैन पुत्र जयनोदेवी, धर्मकांटे के पास चुंगी चौकी नाका मदार, अजमेर।
2. वीरेन्द्र जैन पुत्र जयनोदेवी, धर्मकांटे के पास चुंगी चौकी नाका मदार, अजमेर।
3. सुशील जैन पुत्र जयनोदेवी, धर्मकांटे के पास चुंगी चौकी नाका मदार, अजमेर।
4. रतनदेवी पुत्री जयनोदेवी, धाराजीत हलवाई के पास, कचहरी रोड, PNB के पास, अजमेर।
5. सीमा जैन पुत्री जयनोदेवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार, कोठिया भवन, कचहरी रोड, PNB के पास, अजमेर।
6. उषा देवी पुत्री जयनोदवी पत्नी प्रभात चन्द जैन, जैन मन्दिर कोठी, धोलपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री मो0 इकबाल अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री .....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांकः– 17.9.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम नारेली के आराजी खसरा नं0 212, 213, 217, 216 अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा स्वय अपनी कमाई एवं स्वअर्जित आय से अपनी पत्नी श्रीमती जयनोदेवी के नाम खरीद की गई थी एवं नामा0 संख्या 14 दिनांक 21.01.1987 को तस्दीक किया जाकर जयनोदेवी के नाम स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट संख्या 1 की पत्नी व अपीलान्ट संख्या 2 तथा रेस्पोडेंट्स की माता श्रीमती जयनोदेवी का देहान्त सन् 1990 मे हो चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अपनी माता श्रीमती जयनोदेवी द्वारा दिनांक 25.01.1989 को निष्पादित वसीयत जो दिनांक 19.10.2003 को नोटेरी पब्लिक द्वारा जारी की गई के आधार पर नामान्तरकरण करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अजमेर द्वारा मृतक जयनोदेवी द्वारा तथाकथित निष्पादित वसीयत दिनांक 25.01.1989 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम बिना अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर दिये अवैधानिक रूप से आदेश दिनांक 31.05.2004 पारित कर नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 23.06.2004 स्वीकृत किया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट ने एक अपील माननीय न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर, महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की,

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2010 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश राजस्व प्रकरण संख्या 20/2004 दिनांक 31.05.2004 तथा उसकी पालना में ग्राम नारेली तहसील, अजमेर के विवादित आराजियात हेतु स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 23.06.2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायायलय को रिमाण्ड किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वे अपीलान्ट व मृतक खातेदार के समस्त हितबद्ध विधिक वारिसान को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निरस्तारण करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व मृतक खातेदार के समस्त हितबद्ध विधिक वारिसान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत हेतु अवसर बाबत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 07.08.2020 के अनुसार– ग्राम नारेली की आधार जमाबंदी सं0 2065–84 के ख0न0 482, 493, 498 में महेन्द्र कुमार जैन वल्द विरंजीलाल जैन सा. केसरगंज अजमेर के नाम दर्ज है। खाते में अंकित नामा0 सं0 530 दिनांक 21.03.2007 के अनुसार रूकमा पत्नी गोविन्दराम व चान्दा पत्नी गोविन्दराम गुर्जर निवासी घूघरा के नाम अंकन दर्ज हुई तत्पश्चात् नामा0 सं0 745 दिनांक 08.08.2010 के अनुसार विक्रेता चान्दा व रूकमा के स्थान पर क्रेता इमरान खान पुत्र नसरूद्धीन जाति मुसलमान निवासी रसूलपुरा 1/2 हि. व अनिल जैन पुत्र अमर चन्द दुधोडिया जैन निवासी लाखन कोटडी हि. 1/2 के नाम अंकन स्वीकार हुआ है। मौके पर वर्तमान क्रेतागण का कब्जा काश्त होना बताया गया है।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट के अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 स्वयं ही अथवा उनकी ओर से कोई अभिभाषक आज दिनांक तक उपस्थित हुए है। अभिभाषक अपीलान्ट श्री मो0 इकबाल भी दिनांक 19.06.2014 की तारीख पेशी के बाद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं। दूरभाष पर सम्पर्क करने उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट तथा रेस्पोडेंट के मध्य मौखिक रूप से पारिवारिक समझौता हो गया है और विवादित भूमि का बेचान अपीलान्ट तथा रेस्पोडेंट द्वारा अन्य को किया जाकर कब्जा संभलाया जा चुका है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 07.08.2020 से भी स्पष्ट है कि प्रकरण में मौके पर वर्तमान क्रेतागण का कब्जा काश्त है।

हम समझते है कि प्रकरण में अब किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक ..... को सुनाया गया।

17.9.20

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned with CamScanner